संख्या-74/2021/ 2224 ई-2/तेरह-2021-1153132

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 11 नवम्बर ,2021

विषय- मेसर्स फॉरएवर डिस्टिलरी प्रा. लि., प्लाट नं.-ए, औद्योगिक क्षेत्र उसरा, जनपद देवरिया को स्वीकृत किये गये 100 कि.ली. प्रतिदिन शीरे पर आधारित मिश्रित आसवनी स्थापना के अन्तर्गत शीरे के साथ-साथ दोहरी फीड अर्थात अनाज(ग्रेन) से भी आर.एस./ई.एन.ए/एथनॉल उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-59/दो-प्रा.डी.-218/ फॉरएवर, दिनांक 06 अक्टूबर,2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2167 ई-2/तेरह-2021-1153132 दिनांक 29.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हु आहै कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में शासनादेश संख्या 2410ई-2तेरह-2020 दिनांक 08.12.2020 के क्रम में मेसर्स फॉरएवर डिस्टिलरी प्रा. लि., प्लाट नं.-ए, औद्योगिक क्षेत्र उसरा, जनपद देवरिया को स्वीकृत किये गये 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर प्रतिवर्ष अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एस.डी.एस. अथवा 175 लाख लीटर प्रतिवर्ष रेक्टिफाइड स्प्रिट से अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 175 लाख लीटर पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, को शीरे के साथ-साथ अनाज अर्थात् दोहरी फीड पर चलाये जाने तथा रेक्टिफाइड स्प्रिट से अब्सोल्यूट अल्कोहल के उत्पादन के स्थान पर वाश से सीधे अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवक शीरे के साथ-साथ ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने पर से पूर्व स्टेट लेबिल इन्वायरमेन्टल असेसमेन्ट अथारिटी, उत्तर प्रदेश की शर्तों का पालन करेंगे तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह- 2021-107/ 2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवथानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हु ए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हु ए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in